RJPP, Vol. XVIII, No.II, 2020, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 7.721

भारतीय न्यायिक अभिरक्षा में महिला कैदियों के संवैधानिक अधिकार

सुमन कुमार
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग
एस.डी. (पी.जी.) कॉलिज, गाजियाबाद
(चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत)
Email : suman1041984@gmail.com

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 21.09.2020
Approved: 29.09.2020

सुमन कुमार

भारतीय न्यायिक अभिरक्षा में महिला कैदियों के संवैधानिक अधिकार

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. II,
pp.217-229
Article No. 27

Online available at :
https://anubooks.com/?page_id=6391

सारांश

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक 'समाजवादी' राज्य घोषित किया गया है और यह शब्द अपने आप में सरकार की सामाजिक न्याय एवं कल्याण के प्रति जबावदेहिता को सुनिश्चित करने का एक अर्थपूर्ण प्रमाण है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को (पुरूष–स्त्री) कानून के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक मूल अधिकार प्रदान करता है। लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद किया जाना अनुमान्य नहीं है। समता के अधिकार को विशिष्ट उदाहरण अनुच्छेद 15(1) में पाया जाता है जो अन्य आधारों के अतिरिक्त लिंग पर आधारित विभेद का प्रतिशेध करता है।

सुमन कुमार

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक 'समाजवादी' राज्य घोषित किया गया है और यह शब्द अपने आप में सरकार की सामाजिक न्याय एवं कल्याण के प्रति जबावदेहिता को सुनिश्चित करने का एक अर्थपूर्ण प्रमाण है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को (पुरूष–स्त्री) कानून के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक मूल अधिकार प्रदान करता है। लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद किया जाना अनुमान्य नहीं है। समता के अधिकार को विशिष्ट उदाहरण अनुच्छेद 15(1) में पाया जाता है जो अन्य आधारों के अतिरिक्त लिंग पर आधारित विभेद का प्रतिशेध करता है।

महिलाओं और बालकों के संरक्षण के लिए राज्य सकारात्मक कार्यवाही कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरूष, उसे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है तथा सम्पूर्ण भारत में कहीं भी विचरण करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से स्वतन्त्रता की दृष्टि से भी भारत के संविधान में स्त्री–पुरूष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरूष, उसे अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भारत के संविधान में भारत के सभी स्त्री और पुरूषों को बराबरी का, स्वतन्त्रता का शोषण से रक्षा का धार्मिक आजा का सके। इसी का सहारा लेकर संसद में 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग पारित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम को न्यायसंगत और मनोवाचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। इस नीति के निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए संसद ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, (The Maternity benefit Act, 1961,पारित किया। यह अधिनियम कतिपय स्थापनो शिशु जन्म से पूर्व और पश्चात् भी कतिपय कालाविधियों में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने के उपबंध किया गया। संविधान का अनुच्छेद 39(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में ससंद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remunation Act, 1976) पारित किया। जिसके अन्तर्गत पुरूषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की। संविधान की धारा 51(2) में यदि किसी महिला की तलाशी लेनी हो तो केवल महिला पुलिस ही उसकी तलाशी लेगी। पुरूष पुलिस अधिकारी उसकी तलाशी नहीं ले सकेगा। धारा 53(2) यदि किसी महिला अपराधी का चिकित्सीय परीक्षण

किया जाता है तो ऐसा केवल स्त्री चिकित्सक द्वारा ही किया जायेगा। धारा 98 के तहत यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किसी विधि के विरूद्ध प्रयोजन हेतु निरूद्ध किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्त्री को तुरन्त रिहा करने के आदेश दे सकता है ताकि उसके साथ बेचे जाने, वेश्यावृत्ति, बलात्कार जैसी घटना कारित न हो। धारा 160(1) के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान किसी भी महिला को सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद महिला को बयान के लिए थाने नहीं बुला सकेगा। धारा 198 (स) के तहत अगर 497 दण्ड संहिता का है तो पत्नी की ओर से उसके माता–पिता, भाई–बहिन, पुत्र–पुत्री द्वारा परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 304 के अन्तर्गत अगर कोई महिला (अभियुक्त) स्वंय के खर्चे पर पैरवी करने में असमर्थ है तो उसे वकील उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आर्थिक आधार पर कोई न्याय से वंचित न रहे। धारा 306 के अन्तर्गत यदि कोई स्त्री ऐसे अपराध की दोषी पाई जाती है जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय है, यदि उसके प्रथम अपराध है न्यायालय उसे दण्ड देने की बजाय दोषी मानते हुए सदाचरण परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। धारा 416 के तहत यदि कोई स्त्री जिसे दण्ड दिया जा चुका हो दण्ड दिये जाने के समय यदि वह गर्भवती है तब सजा को उस समय तक मुलतवी किया जा सकता है जब तक बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता। भारतीय संविधान के अन्तर्गत समस्त महिलाओं को समानता, स्वतंन्त्रता, शोशण से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति इत्यादि सभी अधिकार समान रूप से प्रदान किये गए है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार असमानता से वंचित न होना पड़े।

इस प्रकार महिलाओं के अधिकार से संबंधित बहुत से अधिनियम पारित किये गये है जिनमें प्रमुख है– बागान श्रम अधिनियम 1951, कर्मचारी राज्य बीमा विनियमन अधिनियम 1952, हिन्दु–विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, प्रसूति अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिंगार कर्मकार अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध (संशोधित) अधिनियम 1986, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेन्शन एक्ट 1986, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम 1994, हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण) निषेध एवं निदान अधिनियम 2013, मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 आदि।

सुनीलबतरा बनाम देहली प्रशासन के बाद में बहुमत का निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति देसाई ने कहा था कि एकांत कारावास का कैदियों पर परिभ्रष्ट या अपमानित करने वाला तथा अमानवीय प्रभाव पड़ता है। कैदी का लगातार एकांतवास इतना प्राकृतिक हो सकता है कि इससे पागलपन हो सकता है। कैदी का विशेष एकांतवास से एक विनाशकारी असाधारण पर्यावरण बनता हे। दीर्घकाल के कारावास एकांतवास कैदियों के भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी है। इस वाद में न्यायमूर्ति देसाई ने धारित किया कि कैदी अधिनियम, 1894 की धारा 30 (2) जेल अधिकारियों को मृत्यु दण्ड पाने वाले कैदियों को एकांत कोठरी में निरूद्ध करने को अधिकृत

करती है न कि जेल अनुशासन का उल्लंघन करने पर, अतः यह सर्वप्रथम अनुच्छेद 20 का तथा अनुच्छेद 14 एवं 19 का भी उल्लंघन होगा। इस वाद को कैदियों के अधिकारों के मामले में मील का पत्थर माना जाता है।

सुनील बतरा बनाम देहली प्रशासन एवं चार्ल्स गुरूमुख शोभराज बनाम देहली प्रशासन के वाद में न्याय मूर्ति देसाई ने निर्णय देते हुए कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस सीमा तक प्रतिबंधित करना कि वह नकार या खण्डन हो जाए वंचित करना समझा जाएगा। कैदी को हथकड़ी पहनाने से उसकी सीमित स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। अतः केवल विधि द्वारा ही इसे उचित ठहराया जा सकता है।

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम देहली प्रशासन के वाद में निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा कि प्रथम दृष्टया हथकड़ी लगाना अयुक्तियुक्त, कड़ा तथा मनमाना कार्य है। इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। हथकड़ी लगाना केवल मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार ही न्यायोचित हो सकता है।

शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि हिरासत में होने वाली हिंसा से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। इस वाद में न्यायमूर्ति भवगती ने महाराष्ट्र के कारागार महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षण अधीन कैदियों को विधिक सहायता समिति के विशय में सूचित करके ऐसे कैदियों को विधिक सहायता दे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य से सलाह करके उच्चतम न्यायालय ने महिला कैदियों के संरक्षण के संबंध में विस्तार से निर्देश जारी किए।

5.अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि लोक फांसी या जनता के समक्ष किसी कैदी को फांसी दिया जाना बर्बरतापूर्ण कृत्य है तथा इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लोक फांसी दिए जाने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में यौन उत्पीड़न को गम्भीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया है कि कामगार महिला का यौन उत्पीड़न लैगिंक समता के अधिकार तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अतः पीड़ित उपचार का हकदार है।

भारत में महिला कैदियों के संवैधानिक अधिकार

1.विचाराधीन महिला कैदियों के लिए पृथक कोठरी (सेल) – प्रत्येक जेल के महिला विभाग में पर्याप्त कोठरियों का ब्लॉक होगा जो दण्ड कोठरियों के रूप में उपयोग में लाया जायेगा और विचाराधीन महिला कैदियों के लिए अलग स्थानों की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

2.महिला कैदी का महिला वार्ड में अकेले नहीं रखना – यद्यपि जब महिला वार्ड के केवल एक महिला कैदी हो और महिला प्रहरी या अधिदर्शक न हो और कैदी के वहां सात दिन से

अधिक समय तक रखे जाने की सम्भावना हो तब अधीक्षक उस महिला कैदी का साथ देने के लिए निकटतम जेल से किसी अन्य महिला कैदी को उस जेल में भेजे जाने की या उस महिला कैदी का पास के जेल में भेजे जाने की व्यवस्था करेगा। असाधारण परिस्थितियों में अधीक्षक महिला कैदी को जब तक कि वह नियत जेल को अन्तरित न कर दी जाए या छोड़ न दी जाए, इनमें से भी निरोध की अवधि पहले हो, तब तक एक महिला प्रहरी नियुक्त कर सकेगा।

3.मां के साथ बालक – उस महिला कैदी के चाहे वह सिद्धदोष या विचाराधीन हो, ऐसे शिशु को चार वर्ष से कम आयु का हो, यदि उसका दूध न छुड़ाया गया हो। यदि उसका दूध छुड़ाया गया हो, यदि उसका दूध छुड़ा दिया गया है और उसका प्रभार लेने के लिये कोई मित्र या नातेदार प्राप्त न हो तो उसे उसकी मां के साथ जेल में प्रवेश दिया जायेगा। जेल में पैदा हुए, शिशु को अपनी माता के साथ रहने की अनुज्ञा दिया जा सकेगी। किसी भी महिला कैदी को अपने बच्चे को चार वर्ष के उम्र तक या यदि उसकी इच्छा हो तो अधीक्षक के अनुमोदन से छः वर्ष की उम्र तक अपने साथ रखने की आज्ञा दी जा सकेगा। ज्यों ही जेल में प्रविष्टि किये गये या उसमें पैदा हुए शिशु की उम्र तथा स्थिति मामले के अनुसार चार वर्ष या छः वर्ष की हो जाए त्यों ही अधीक्षक बालक की अभिरक्षा संबंधी व्यवस्था की दृष्टि से उस जिले के जिसमें उसकी मां का निवास है या मजिस्ट्रेट को संसूचित करेगा। उन सिद्धदोष महिला कैदियों को (आजीवन कारावास दण्डित कैदियों के सिवाय) जिनके कि साथ जेल में शिशु हो, केन्द्रीय जेल में तब तक अन्तरित नहीं किया जायेगा जब तक कि बच्चे उनके मित्रों को न सौप दिये जाये या जब तक कि वे अन्यथा प्रभार में न ले लिये जाऐं।

4.महिला कैदी की गर्भावस्था – जब जेल में प्रविष्ट की गई महिला कैदी (सिद्धदोष या विचारधीन) को चिकित्सा अधिकारी द्वारा गर्भवती होना प्रमाणित कर दिया जाए तब प्रवेश की तारीख दण्ड की तक गर्भावस्था की अस्तित्वावधि संबंधी ब्यौरा सहित उसे तथ्य की रिपोर्ट कारागार महानिरीक्षक को हमेशा भेजी जायेगी। प्रसूति की तारीख (यदि जेल में कैदी की प्रसूति हुई हो) या प्रसूति के पूर्व छोड़े जाने की तारीख की भी रिपोर्ट महानिरीक्षक को की जानी चाहिए।

5.बच्चों का जेल में जन्म – जहां तक संभव हो जेल में बालक का जन्म टाला जाएगा किन्तु यदि टालना संभव न हो तो शिक्षित दाई की सेवायें ली जाना चाहिए। यदि मैट्रन में ढाई प्रशिक्षित न हो या जब उसको अधीक्षक की सहायता आवश्यकता हो तो उन जिलों में जहॉ प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र हो ऐसे केन्द्र के भारसाघक प्राधिकारियों से महिला वार्ड में किसी भी प्रसूति के मामले में परिचर्चा करने के लिए किसी दाई को प्रतिनियुक्त करने की प्रार्थना की जायेगी। उसे शासन द्वारा विहित किये गये मान के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

6.महिला वार्डन महिला कैदी की भारसाधक होगी – जेल का महिला खण्ड हमेशा ही मैट्रन या महिला वार्डन के प्रभार में होगा अकास्मिक वर्ग (केजुअल क्लास) की ऐसी महिला

कैदी जो सदाचारी हो और जिसने अपने दण्ड को कम से कम एक तिहाई भाग भुगत लिया हो इस हैसियत से काम पर लगाई जा सकती है।

7.**महिला वार्ड की चाबियां** – पीतल का ताला वार्ड के बाहरी दरवाजे की सुरक्षा के लिये प्रयोग में लाया जाना चाहिए तथा हमेशा वेतनिक मैट्रन के कब्जे में उसकी चाबी होनी चाहिए या यदि कोई मैट्रन न हो तो जेलर या जेल के सहायक जेलर जबकि कोई भारसाधक हो के पास रहनी चाहिए। किसी कारण से चाबिया सहायक जेलर से निम्न श्रेणी के किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपी जानी चाहिए। केन्द्रिय जेल में महिला वार्ड के सिवाय, जिसका कि मुख्य द्वार बाहर से बन्द किया गया है, इन तालों की दौहरी चाबियां नहीं रखी जायेगी। इस पीतल के ताले की एक चाबी मैट्रन के पास रहेगी और इसकी दूसरी चाबी वरिष्ठ जेलर के पास रहेगी। केन्द्रिय जेल के चिकित्सालय चक्कर दरवाजों के दो तालो की भी दोहरी चाबियां रखी जायेगी। केन्द्रीय जेल तथा जिला जेल वर्ग (एक) में जहां कि महिला वार्ड का दरवाजा मैट्रन या महिला पहरी द्वारा भीतर से बन्द किया जाता है वहां दूसरा दरवाजा भी होगा जिसका ताला बाहर की ओर लगाया जायेगा और उसकी चाबी जेलर द्वार अपने पास रखी जायेगी। जिससे तात्कालिक संकट की स्थिति में मैट्रन या महिला वार्डन को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। अहाते के भीतर की बैरको तथा कोठरियों की चाबियां की अभिरक्षा के संबंध में ये नियम ही लागू होंगे, किन्तु जेल के अन्य मार्गों के उपयोग में लाये जाने वाले तालो से ये ताले यद्यपि भिन्न हो फिर भी यह आवश्यक नहीं किवे पीतल के ताले ही हो। प्रातःकाल खोलने के पश्चात् भोजन और शौचालय परेड समाप्त होने के बाद महिलाओं को कार्यों हेतु कर्मशाला में ताला बन्दी में आकस्मिक वर्ग की एक ऐसी सिद्धदोष महिला के प्रभार में रखा जाएगा, जोकि कर्मशाला के भीतर ही रहेगी और जिसे एक घंटी दी जायेगी ताकि वह किसी चीज की आवश्यकता पड़ने पर उसे बजा सके। मैट्रन या जहां कोई मैट्रन न हो वहां जेलर प्राथमिक रूप से महिला वार्ड के लिए जिम्मेदार होगें। केन्द्रीय जेल में मैट्रन को या जिला जेल या उपजेल में जेलर को उस समय अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। जबकि झाडू लगाने वाले प्रभारी प्रहरी साफ–सफाई करने के लिए वार्ड में आए।

8.**विनियम 409 महिलावार्ड में पुरूष अधिकारी के प्रवेश पर प्रतिबंध** – कोई भी पुरूष अधिकारी किसी भी बहाने में महिला कैदियो के घिरे हुए स्थान में वैतनिक मैट्रन या यदि कोई मैट्रन न हो तो जेलर को साथ लिए बिना प्रवेश नहीं करेगा और उस घिरे हुए स्थान में रहते समय वे दोनों अलग–अलग नहीं होंगे। यदि रात के समय महिलाओं के घिरे हुए स्थान में प्रवेश करना आवश्यक हो, तो कर्तव्यस्थ मुख्य प्रहरी जेलर को बुलवायेगा और ये दोनों उस घिरे हुए स्थान में साथ–साथ प्रवेश करेगें। उन प्रहरियों को जो कि शासकीय परिदर्शको के अनुरक्षक के रूप में कार्य कर रहे तो उस समय जबकि उस स्थान का निरीक्षण आदि किया जा रहा हो, सीमा के बाहर ही रहना चाहियें। अर्थात् महिला कैदी जेल के महिलाओं से घिरे स्थान से बाहर नहीं जायेगी–किसी भी महिला कैदी को किसी भी कारण से जेल के महिलाओं के घिरे हुए स्थान से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9.आभ्यासिक महिला कैदियों का अन–आभ्यासिक महिला कैदियों से पृथक्करण– महिला कैदियों का समस्त जेल में वर्गीकरण पूर्णरूपसे लागू नहीं किया जा सकता है, किन्तु प्रत्येक कैदी का वर्गीकरण किया जायेगा और आभ्यासिक कैदियो को अन्य–आभ्यासिक कैदियो से पृथक रखा जायेगा।

10.महिला सिद्धदोष कैदियो को दण्डादोष भुगतने के लिये जेल जहाँ परिरूद्ध किया जायेगा – वे समस्त महिला सिद्धदोष कैदी (आभ्यासिक तथा आकस्मिक दोनों) जिन्हें एक वर्ष या उससे कम कारावास के लिये दण्डादिट किया गया हो, निकटतम जिला जेल वर्ग–1 या केन्द्रीय जेल में परिरूद्ध तथा अन्तरित किया जायेगा। एक वर्ष से अधिक कारावास के लिये दण्डादिष्ट महिला सिद्धदोष कैदियो को केन्द्रीय जेल, जबलपुर में परिरूद्ध तथा अंतरित किया जायेगा।

11.मृत्यु दण्ड के अधीन गर्भवती महिला कैदी – जब किसी मृत्यु दण्ड से दण्डित महिला कैदी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी गर्भवती होना प्रमाणित करते है तो यह तथ्य सदैव ही वारण्ट पर लिखा जायेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 382 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने तक दण्ड निष्पादन संबंधी आदेश के वारण्ट पर पृष्ठांकन कर जेल अधीक्षक द्वारा सत्र न्यायाधीश को लौटा दिया जायेगा। जब कोई महिला कैदी जिसे मृत्यु का दण्ड दिया हो, अपने को गर्भवती होना घोषित करे और चिकित्सा अधिकारी इस तथ्य को प्रमाणित करने में या अन्यथा कथन करने में असमर्थ हो तो उस तथ्य का लिखित कथन करेगा तथा समय का वह अन्तराल भी जितना इस तथ्य की संतुष्टि स्वयं को करने में आवश्यक हो लिखेगा और उक्त विवरण वारण्ट के साथ संलग्न करके पूर्ववती नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के लिए सत्र न्यायाधीश को भेजा जायेगा। मृत्यु से दण्डादिष्ट महिला कैदी को महिलाओं के वार्ड में ही रखा जायेगा। तथा उस पर महिला प्रहरियों (वार्डन) का पहरा रखा जायेगा। माताओं ओर उनके साथ में परिरूद्ध किये गये बालको को निम्नानुसार आहार दिया जायेगा :

- बच्चों के पालन करने वाली माताओं के लिये साधारण आहार के अतिरिक्त 115 ग्राम चावल या गेहूँ का आटा और 30 ग्राम सरसों का तेल।
- 12 माह से कम आयु के बालकों के लिये जब बच्चों का पालन करने वाली माता का दूध कम पड़ता हो तो चिकित्सा अधिकारी के विवेकानुसार गाय के दूध में एक तिहाई पानी मिलाकर उसकी पूर्ति की जा सकेगी।
- 12 माह और 18 माह के बीच की आयु के बालको के लिये 350 ग्राम दूध, 115 ग्राम चावल का आटा और 30 ग्राम दाल।
- 18 माह और 24 माह के बीच की आयु के बालको के लिये 235 ग्राम दूध, 235 ग्राम चावल या आटा और 30 ग्राम दाल। उपर्युक्त को दो या तीन बार के भोजन जैसा कि आवश्यकता प्रतीत हो, दिया जा सकेगा।

- 24 माह से अधिक आयु के बालकों के लिये चिकित्सा अधिकारी के विवेकानुसार।

12.गर्भवती महिला कैदियों के लिये आहार – महिला कैदियों के लिये जब वे गर्भवती हो पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जायेगी जिसके अन्तर्गत दूध, ताजी सब्जी तथा फल या आहार की अन्य वस्तुए आती है। इनकी मात्रा उसके द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी। सामान्यतः यह मात्रा निम्नलिखित माप–मान से अधिक नहीं होगी दूध–700 ग्राम, ताजासब्जी–235 ग्राम, ताजे फल–235 ग्राम, महिला कैदी के परिधान, दो साडी, दो ब्लाउज, दो पेटी कोट, आहार माप–मान दुर्बल कैदियों और उन कैदियों के लिये, जिनका कि वजन कम हो रहा हो या क्षीण अवस्था में हो।

छोड़ी जाने के लिए महिला कैदियों का अन्तरण

1. जब छोड़ी जाने वाली किसी महिला कैदी का घर, जेल से दूर हो तब जिले के मजिस्ट्रेट को जिसमें उसका घर स्थित हो, उसे छोड़े जाने के एक माह पूर्व यह प्रार्थना करते हुए सूचना भेजी जायेगी कि वे उस महिला के नातेदारों को छोड़े जाने की तारीख सूचित करे और उनसे अनुरोध करे कि वे उसे जेल के फाटक पर लेने आए। किसी नातेदार के उसे लेने न आने की दशा में उस पुरूष कैदियो की तरह ही रेल का टिकिट और निर्वाह–भत्ता तथा सड़क से की जाने वाली यात्रा का बस का किराया दिया जायगा। किन्तु अपवादित मामलों में महिला की यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे गये अतिरिक्त उपाय करने के संबंध में अधीक्षक अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग कर सकेगा।
2. 40 वर्ष से कम उम्र की समस्त दण्डित महिलाओं के अन्तरण के समय उनके साथ एक महिला प्रहरी जायगी, भले ही वे अकेली या अन्य दण्डित महिलाओं के साथ यात्रा कर रही हो। प्रहरी की व्यवस्था यदि उपलब्ध हो उस जेल द्वारा की जायेगी। जिससे उस वर्ग की महिला कैदियों को जिस वर्ग की दण्डित महिला कैदी है से केन्द्रित किया जाता हो।

पागल महिला के साथ महिला परिचारिका अथवा नातेदार का भेजा जाना – मानसिक चिकित्सालय को या उससे भेजी गई प्रत्येक पागल महिला के साथ सामान्य अनुरक्षक के अतिरिक्त एक महिला परिचारिका या नातेदार होगी। महिला नातेदार की अनुपस्थिति में पुलिस विभाग महिला परिचारिका की व्यवस्था करेगा तथा परिचारिका की ओर से उपगत यात्रा तथा अन्य व्यय वहन करेगा।

महिला कैदियों की मृत्यु

यदि जेल में किसी महिला कैदी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे कोई बच्चा छोड गई हो, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को जिस जिले में उसका घर स्थित हो इस दृष्टि से कि उसके संबंधी उस बच्चे को ले जाएं तत्काल सूचना भेजी जायेगी। यदि कोई नातेदार या संबंधी बच्चे को ले जाने के लिये तैयार न हो तो उसे किसी ऐसी प्रामाणिक संस्था में रखने का इन्तजाम किया जायेगा जहां बालक रखे जाते हो और उन्हें शिक्षा दी जाती हो।

महिला कैदियों का शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार

बन्दी गृहो में सामान्य शिक्षा के लिये उपबन्ध किये जा सकेगें। सभी संरक्षण गृह यथा

अन्तः वासिनियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये उपबंध करेगे, उस विशिष्ट प्रशिक्षण के बारे में जिसके तहत वह होगी, जहां तक संभव हो प्रत्येक अन्तः वासिनी की इच्छा की सलाह ली जावेगी। उपयुक्त नियोजन, जिसके अन्तर्गत गृह कार्य, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और इसी प्रकार के कार्य होगें, उपबन्धित कराया जा सकेगा। प्रशिक्षण के सभी पाठयक्रम मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सामान्य शिक्षा के लिये शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे और अन्तः वासिनियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये अनुदेश नियुक्त किये जायेंगे।

1. **शैक्षिक कार्यक्रम** – सरकार एवं गैर सरकार संगठन बंदीगृहा में बन्दियो के सुधार के लिए अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। शिक्षा जो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है मनुष्य के विभिन्न पहलुओं का निरन्तर विकास करती है। बन्दीगृहों में चलाए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महान सन्तोषप्रद लाभ है। चूंकि शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है इसलिए वह अपराधियों का निरन्तर विकास कर सकती है। ताकि दण्ड समाप्ति के पश्चात् नवीन परिस्थितियों में वे अपने को समायोजित कर सके। व्यक्तिगत जीवन में अपराधियों द्वारा इन शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रमुख महत्व है–अपराधियों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मददगार, भावी जीवन की तैयारी में मददगार तथा बंदीगृह से आजादी के बाद अपने जीवन को सफल बनाने में सहयोगी।

महिला संरक्षण गृहों में शिक्षा

संरक्षण गृहों में व्याप्त समस्याओं के समाधान में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अज्ञानता और अशिक्षा वैसे भी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। शिक्षा के महत्व की विवेचना करते हुए टेफ्ट ने लिखा है कि– संरक्षणगृह में पुस्तकालय प्रभावशाली ढंग से चरित्र निर्माण कर सकते है क्योंकि इनमें स्वेच्छा की प्रधानता रहती है'। संरक्षण गृहों में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो कार्य किए जा सकते है, वे इस प्रकार है–(क)समुचित शिक्षा की व्यवस्था।(ख) धार्मिक और नैतिक शिक्षा। (ग)चारित्रिक शिक्षा।(घ)पुस्तकालय की व्यवस्था।(ड.)परीक्षा आदि की व्यवस्था।(च)कम्प्यूटर तथा अन्य आधुनिक संयन्त्रों पर प्रशिक्षण ।

2. महिला कैदियों के साथ विशेष उदारता का व्यवहार किया जाए तथा उन्हें अपने बच्चों से मिलने की अधिकाधिक सुविधा दी जाए। इससे उनकी मानसिक दशा सन्तुलित रहेगी। चूंकि महिलाओं पर अपेक्षाकृत कम निगरानी और अभिरक्षा की आवश्यकता होती है, अतः उनके लिये उदार उपचारात्मक पद्धति अपनाई जाए तथा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किये जाऐं ताकि वे स्वयं को सुधार सके। विशेषतः लैंगिक अपराध में लिप्त महिला अपराधियों के साथ घृणा की बजाय सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिये ताकि उनके अधर्मज बच्चों (Illegitimate Children) के लिए सामान्य जीवन सुनिश्चित किया जा सके।

3.कारागारों की शैक्षणिक व्यवस्था पढ़ाई–लिखाई से हटकर औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण पर आधारित होनी चाहिए ताकि कारावासी रिहाई के बाद उसका लाभ उठा सके। यदि कारावासी कारागार के बाहर किसी शैक्षणिक संस्था या प्रशिक्षण लेना चाहे, तो आवश्यक

छानबीन के बाद उसे इसकी अनुमति देना उचित होगा। इस संबंध में कारागार नियमों में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कारावासियों को पत्राचार पाठयक्रम (Correspondence Course) द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की छूट दी जानी चाहिए।

4.कारागारों के महिला कैदियों को सुधारने हेतु अनेक लाभकारी योजनाऐं लागू है लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कारागार अधिकारियों की प्रवृत्ति में बदलाव लाना भी उतना ही आवश्यक है। प्रायः यह अनुभव किया जा रहा है कि कारागार के अधिकारी तथा कर्मचारी जिन पर इस सुधारात्मक योजनाओं को लागू करने का दायित्व है, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहते है तथा ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे कारावासियों का कल्याण हो। दूसरे शब्दों में कारागार प्रशासको में निष्ठा, लगन और अपने कर्तव्य के प्रति रूचि के अभाव में ये सुधारात्मक कार्यक्रम केवल औपचारिक मात्र बनकर रह गए है तथा कारागारों की वास्तविक स्थिति विशेष सन्तोषजनक नहीं है। अतः कारावासियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण, कुशल एवं योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें सामाजिक कल्याण कार्य में वास्तविक रूचि हों। सरकार की ओर से भी इस हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5.कारावासियों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु अनेक देशों में सामुहिक उपचिकित्सा पद्धति अपनाई गई हैं। इस पद्धति के अन्तर्गत नृत्य, गायन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से कारावासियों में सामाजिक कार्यक्रमों के प्रति रूचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों, चर्चाओ, सामूहिक वाद–विवादों, साक्षात्कारों आदि के माध्यम से उनको ज्ञानवर्धक किया जाता है तथा धार्मिक प्रवचनों द्वारा उनमें नैतिकता के प्रति रूचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता हैं। पाश्चात्य देशों में 'ग्रुप थैरेपी' पद्धति द्वारा कारावासियों के उपचार तथा सुधार में आशातीत सफलता मिली हैं भारत के कारागारों में भी 'ग्रुप थौरेपी' पद्धति को सक्रियता से लागू किया जाना आवश्यक है।

6.हाल ही के वर्षों में कुछ विद्वानों ने कारावासियों की मनोवृत्ति में सुधार करने के लिए उन्हें आध्यात्म का शिक्षण (Spiritual Training) दिये जाने पर बल दिया है। उनका विचार है कि 'योग' और 'ध्यान' द्वारा कारावासी अपनी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि की वासनाओं पर विजय पा सकते है जो उन्हें आत्मसंयमी तथा सदाचरणी नागरिक बनाने में सहायक होगा। भारतीय परिवेश में निसन्देह ही अपराध और अपराधियों के प्रति यह नया दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस सन्दर्भ में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ के पूर्व न्यायमूर्ति रामपाल सिंह ने लिखा है कि ''मानव शरीर एक मन्दिर है जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा का निवास करता है।'' हाड़–मांस के मन्दिर को अच्छे–बुरे का बोध कराने के लिए साधु–सन्तों ने योग द्वारा साधना पर बल दिया है ताकि मानव की आत्मा शुद्ध रहे तथा व्यक्ति चरित्रवान बना रहे। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति अपराध से सदैव दूर रहेंगे तथा समाज में शान्ति व्यवस्था बनाए रखते हुए समाज–कल्याण में रूचि लेगें। अतः कारागारों में 'योग' के प्रशिक्षण से अपराधियों की मानसिकता में सुधार

सम्भव हैं। निसन्देह ही भारतीय दण्ड व्यवस्था में यह एक अभिनव प्रयोग है जिसे उत्साहपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक कार्यक्रम

बन्दीगृहों में महिला कैदियों के सुधार के लिए आधुनिक दौर में अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जाते है। इन व्यावसायिक कार्यक्रम से कैदी रिहाई के बाद सरलता से अपने को पुनर्वास कर सकता है। कुछ प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम है– पेन बनाना, किताबो का जिल्द चढाना, खाद बनाना, स्क्रीन प्रिण्टिंग करना, कपडे सिलना, लिफाफे बनाना, जूते बनाना इत्यादि। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अपराधी कारागार के बाद समाज में स्वयं अपना तथा अपने परिवार का पूर्ण रूप से भरण–पोषण सरलता से कर सकें। बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या उसे दोबारा अपराध की ओर प्रेरित कर सकती है। मूल रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा इस नाते मनुष्य के लिए शरीर संबंधी आधारभूत आवश्यकता का समान रूप से महत्व हैं। इन आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूर्ति के लिए मनुष्य के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी न किसी व्यवसाय का वर्णन करना आवश्यक होता है। बंदीगृहों में व्यावसायिक कार्यक्रम अपराधियों को ऐसे ही किसी व्यवसाय के लिए प्रेरित करते है।

1.**महिला संरक्षण गृहों में व्यावसायिक श्रम** – संरक्षण गष्हों में इस आषय की व्यवस्था होनी चाहिए कि बन्दी व्यावसायिक श्रमों का सम्पादन कर सकें। बंदी गृहों में व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। कैदियों से ऐसे श्रम का सम्पादन कराना चाहिए, जिससे इनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम में वृद्धि हो। बंदीगृहों में उत्पादक कार्यक्रमो को महत्व दिया जाना चाहिए। इस कार्य के बदले बंदियो को उचित वेतन दिया जाए तथा उत्पादक कार्यों के लाभ में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित होना चाहिए। लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे महिला बंदी अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकेगीं और इस प्रकार अपना पुनर्वास कर सकेगें।

2.**कारागार में श्रम कार्य** – कारावासियों को समाज में पुनर्वासित करने के लिए कारावधि में उनसे उपयोगी श्रम कार्य लिया जाना एक अच्छा उपाय माना गया है। सन् 1950 में हेंग (hague) में आयोजित बारहवीं इन्टरनेशन पेनल एण्ड पेनीटेंशियरी कान्फ्रेंस में यह प्रस्ताव रखा गया कि कारावासियों की कार्य क्षमता को यथावत बनाये रखने के लिए उनसे श्रम कार्य लिया जाना सर्वथा उचित है। इससे वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ तो रहते ही है, साथ ही श्रम कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनमें निरर्थक फालूत विचार नहीं पनप पाते है। कारावासियों से श्रम कार्य लिए जाने का एक अन्य लाभ यह भी है कि उनके द्वारा अर्जित पारिश्रामिक को उनके परिवारजनों की आजीविका हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। इसे सरकार पर कारावासियो की देखभाल के लिए पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी हल्का हो जाता है। इस सन्दर्भ में बार्म्स एण्ड टीटर्स ने कहा है कि कारावासियों से श्रम कार्य लिए जाने की षर्ते ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी किसी सामान्य श्रमिक की होती है ताकि उनमें आत्म–सम्मान बना रहे तथा मानव जीवन की गरिमा भी बनी रहें।

3.व्यावसायिक सेवायें व सुधार – निम्न क्रम ये व्यावसायिक सेवाओं की सहायता से अपराधियों का सुधारकिया जा सकता है :–

- न्यायालय व सुधार अभिकरण – अपराधियों के सुधार के निमित्त व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवायें ग्रहण कर सकते है, इस तरह उनकी सेवाओं को ग्रहण कर अपराधियों की आपराधिक काराणता के संबंध में उचित निदान करवाया जा सकता है।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी अपराधियों के सुधार के निमित्त आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराया जा सकता है।
- कैदियों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि उन्हें पुनर्वासन में सहायता मिल सके।
- कारागार से मुक्ति के पश्चात् अपराधी को समाज में स्वतंत्र न छोड़कर कुछ समय तक उसे उत्तर–संरक्षण के अन्तर्गत रखा जाना अधिक श्रेयष्कर होगा।
- कैदियों को श्रम का उचित पारिश्रमिक दिया जाये, भले ही राज्य सरकार उनके भरण–पोषण पर आने वाले व्यय को उनसे वसूल कर ले। कम मजदूरी मिलने से कैदियों के मस्तिष्क में यह धारणा बनती है कि वह सामान्य व्यक्ति से निम्न का है और मनुष्यता के नाते भी यह अन्यायपूर्ण तथा अनुचित है।
- मनोवैज्ञानिक कार्यकताओं द्वारा अपराधियों का सुधार और भी भली–भांति करवाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सामान्यतया अपराधी की बुद्धि, उसकी अभिरूचि, व उसकी इच्छा का परीक्षण व अपराधी का साक्षात्कार कर उसके सुधार निमित्त आवश्यक सलाह दे सकते है।
- मनोरोग, विज्ञानी सामान्यतया चिकित्सकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित रहते है। इनके द्वारा अपराधी के मनोरोग की चिकित्सा में सहायता लेनी चाहियें, जिससे अपराधी के निमित सुधार का मार्ग प्रशस्त हो।
- समाजशास्त्री तो एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे अपराध शास्त्र व दण्ड शास्त्र का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। उसकी व्यवसायिक सेवाओं का लाभ उठाकर अपराध व्यसनियों का सुधार किया जाना चाहिए।

4. महिला अपराधियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉ. सेठना के अनुसार वर्तमान कारागारों को 'नैतिक अस्पताल' की भूमिका निभानी चाहिए जहां कारावासियों को पुनर्शिक्षित किया जा सके, लेकिन इन्हें इतना अधिक आरामदेह न बनाया जाए कि वे आकर्शण का केन्द्र बन जाए। एक आदर्श कारागार में श्रमकार्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, मनोरंजन, वाचनालय, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और कारागार के अधिकारियों को इस कार्य में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तभी कारागार अधिक सार्थक सिद्ध हो सकते है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में कारागारों की भूमिका में आमूल परिवर्तन हुआ है। अब ये

केवल अभिरक्षा की संस्थाए न होकर विधि उल्लंघनकारियों के उपचार एवं उचित प्रशिक्षण का केन्द्र माने जाते है। अतः इस समय कैदियों की अभिरक्षा के बजाय उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर समाजोपयोगी बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि समाज में ही रहकर उन्हें पुनर्वासित किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रथ

1 गुप्ता, सुभाषचन्द एवं राजपूत मीनाक्षी, 2016 : *घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाएँ,* प्रकाशक : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 4831/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, भारत।

2 गुप्ता, सुभाषचन्द एवं सक्सेना, अल्का, 2011 : *पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएँ,* राधा पब्लिकेशन्स,4231/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, भारत।

3 कुमार, योगेश, 2010 : *'महिला अधिकार : सिद्धांत एवं व्यवहार',* शारदा अग्रवाल व मंजू जैहरी, (संपा) आधी आबादी का यथार्थ : भारतीय नारी, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, भारत।

4 सिंह, बी.एन. एवं जयसिंह, जनमेय, 2010 : *आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान, भारत।

5 गिरी, निवेदिता, 2009 : *भारत में कानून, संस्थाएं तथा महिलाओं के अधिकार',* तपन विसवाल (संपा), मानवाधिकार जेण्डर एवं पर्यावरण, वाइवा बुक्स, दिल्ली, भारत।

6 शर्मा, मंजू, 2008 : *नारी शोषण और मानवाधिकार,* प्रकाशक, राज पब्लिसिंग हाऊस, 49 परनामी मन्दिर, जयपुर, राजस्थान, भारत।

7 सिंह, के.पी. एवं अरोड़ा, टीना, 2008 : *''भारत की कारागार व पुलिस व्यवस्था'* पुलिस विज्ञान, पत्रिका, अप्रैल–जून जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत।

8 नटाणी, प्रकाश नारायण, 2007 : *भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा,* प्रकाशक : बुक एनक्लेव, जैन भवन, शान्तिनगर, जयपुर, राजस्थान, भारत।

9 अग्रवाल, गोपाल कृष्ण, 2007 : *अपराध शास्त्र,* प्रकाशक, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा0) लि0, 34, लाजपत कुंज, आगरा, उ.प्र. भारत।

10 बसु, दुर्गादास, 2005 : *भारत का संविधान– एक परिचय,* प्रकाशक : वाधवा एण्डकम्पनी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, डी.डी. 13, कालकाजी एक्स, नेहरूप्लेस के सामने, नई दिल्ली, भारत।

11 पाण्डे, महिप कुमार, 2005 : *'महिला अधिकारों के संरक्षण की नई दिशाएं* राकेश द्विवेदी (संपा), महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं रणनीतियाँ, पूर्वाज्ञा प्रकाशन, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत।

12 सारस्वत, स्वप्निल एवं सिंह, निशात, 2004 *: समाज, राजनीति और महिलाएं : दशा और दिशा,* राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, भारत।

13 चौहान, एम.एस., 2003 : *अपराध शास्त्र एवं अपराधिक प्रशासन,* प्रकाशकः सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, कानूनी पुस्तक–विक्रेता एवं प्रकाशक 30–डी/11, मोतीलाल नेहरू रोड़, इलाहाबाद, उ.प्र. भारत।

14 नाटाणी, प्रकाश नारायण, 2002 : *महिला जागृति और कानून* प्रकाशक : प्रेमचन्द बाकलीवाल, आविश्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, 807, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर, राजस्थान, भारत।